न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी— सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 178/2019 दिनांक 05.04.2021

संजय गोद पिता रामलाल जी जाति नंगारची उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ़, तहसील भदेसर

——वादी

बनाम

1. भैरूसिंह पिता जोध सिंह जी जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी नाहरगढ़ तहसील भदेसर
2. राजमल पिता भैरूलाल जी जाति रेगर, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ़, तहसील भदेसर
3. मंजू बाई पत्नि दिनेश चन्द्र जाति रेगर, उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ़, तहसील भदेसर
4. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र की खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उक्त अनवान के प्रकरण में वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा.दी. के तहत निम्नानुसार पेश है:—

1. यह कि वादी के गोद पिता स्व. रामलाल एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का नाहरगढ़, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसके खाता संख्या 193 में दर्ज आ. नं. 449 रकबा 0.12 हैक्टर , आ.नं. 450 रकबा 0.15 हैक्टर , आ.नं. 454 रकबा 0.34 हैक्टर, आ.नं. 56 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 1.03 हैक्टर कृषि भूमि है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 संलग्न वाद पत्र है।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार स्व. रामलाल जी के कोई जायंदा संतान नहीं होने से स्व. रामलाल जी ने अपने भाई के पोत्र संजय (वादी) को उसके प्राकृतिक माता पिता की सहमति लेते हुए सामाजिक पंचो के बीच [illegible] रस्मो रिवाजानुसार गोद रख कर उसे वे सभी अधिकार प्रदत्त किये [illegible] को अपने पिता से प्राप्त होते है तभी से वादी को स्व. राम[illegible] नाम से जाना व पहचाना जाता है। वादी ने ही स्व. रामलाल जी की सारी जिंदगी [illegible] चाकरी की एवं मृत्यू उपरात काज करियावर एवं अन्य धार्मिक दायित्वों का निर्वहन भी वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:37:20 IST
Reason: SelfAttested

ही किया गया। वादी ही स्व. रामलाल जी के जीवनकाल एवं उनकी मृत्यू उपरांत उनकी समस्त चल अचल सम्पति पर बहैसियत गोद पुत्र काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इसलिए वादी को उक्त आराजीयात में निहित स्व. रामलाल जी के 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोशणा का पेश है।

3. यह कि उक्त आराजीयात वादी के गोद पिता स्व. रामलाल जी व उनके भाई बंधों की संयुक्त खातेदारी की थी परन्तु दिगर खातेदारान ने उनके हक हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को विक्रय कर दिया लेकिन स्व. रामलाल जी ने अपना 1/4 हक हिस्सा किसी को विक्रय नहीं किया इसलिए भी वादी को 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम अंकन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है तदर्थ यह वाद पत्र पेश है।

4. यह कि राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम अंकित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 से 03 इसका नाजायज फायदा उठाकर वादी को उसके गोद पिता के हक हिस्से वादी आराजीयात से बेदखल कर आराजीयात अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील करने पर आमद हो रहे है तथा आये दिन वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी करते रहते है इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतू पेश है।

5. यह कि बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 12.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा वादी को उसके गोद पिता की आराजीयात से कब्जा छोड़ने की धमकी देने एवं मौके पर भूमाफियाओं को लाकर जमीन का सौदा करने की बातचीत करने से पैदा होकर हर दिन जारी है।

अतः निवेदन है किः–

अ– वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी को ग्राम नाहरगढ, पटवार हल्का नाहरगढ़, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ में स्थित है जिसके खाता संख्या 193 में दर्ज आ.नं. 449 रकबा 0.12 हैक्टर, आ.नं. 450 रकबा 0.15 हैक्टर, आ.नं. 451 रकबा 0.19 हैक्टर , आ.नं. 454 रकबा 0.34 हैक्टर, आ.नं. 456 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 05 रकबा 1.03 हैक्टर कृषि भूमि मे से स्व. रामलाल जी के 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम अमल दरामद किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:37:20 IST
Reason: SelfAttested

ब– कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी के 1/4 हिस्से में किसी भी प्रकार से दखलअंदाजी व वादी के उपयोग उपभोग में किसी

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे एवं आराजीयात को किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील नहीं करे ना ही ऐसा कृत्य किसी अन्य से करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । वादी की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह पंवार एवं प्रतिवादीगण की तरफ से श्री सुरपाल सिंह उपस्थित ।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर वाद पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार किये गये । वाद के समर्थन में वादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी मौजा नाहरगढ खाता संख्या 193 संवत् 2072–2075 में वर्णित भूमि मुकदमा पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है जिसमें रामलाल पिता बलदेव निवासी नाहरगढ के गोदी पुत्र संजय को रखा गया है ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गई । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. नकल जमाबन्दी मौजा नाहरगढ खाता संख्या 193 संवत् 2072–2075 प्रदर्श–1
2. क्षत्रिय दमामी समाज चोखला भदेसर का लिखा हुआ पत्र प्रदर्श –2
3. शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 संजय गोदी पिता रामलाल नंगारची निवासी नाहरगढ
4. शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 प्रताप सिंह पिता केसर सिंह राजपूत निवासी नाहरगढ
5. शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 ओमप्रकाश पिता बंशीलाल नंगारची निवासी नाहरगढ
6. शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 श्यामलाल पिता बक्षीराम नंगारची निवासी नाहरगढ
7. शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 भोपाल सिंह पिता भेरू सिंह राव निवासी नाहरगढ
8. शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 कालूराम पिता हिरालाल नंगारची निवासी अचलपुरा

बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बाद डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। जमाबंदी प्रदर्श 1 लोक दस्तावेज होकर सदृह है। जिसके अनुसार विवादित आराजीयात पक्षकारान् के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर वादी के गोदी पिता स्व0 रामलाल के नाम पर आराजीयात का 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:37:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

है। प्रतिवादीगण के जवाब एवं वादी ने स्वतंत्र गवाहो से साबित कराया है कि वादी अपने गोदी पिता के हक हिस्से की आराजीयात में का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया। उत्तरदाता की ओर से वाद का खण्ड नहीं किये जाने से भी वाद के तथ्यों की पुष्टि साबित होती है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम नाहरगढ, पटवार हल्का नाहरगढ़, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ में स्थित खाता संख्या 193 में दर्ज आ.नं. 449 रकबा 0.12 हैक्टर, आ.नं. 450 रकबा 0.15 हैक्टर, आ.नं. 451 रकबा 0.19 हैक्टर , आ.नं. 454 रकबा 0.34 हैक्टर, आ.नं. 56 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 05 रकबा 1.03 हैक्टर कृषि भूमि मे से स्व. रामलाल जी के बनने वाले 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।शेष हिस्सा बदस्तूर रखा जावें।तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हक हिस्से में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे न अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान एवं आराजीयात को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस न तो स्वयं करे नाहि किसी अन्य से करावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:37:20 IST
Reason: SelfAttested